



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19092023-248825
CG-DL-E-19092023-248825

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3935]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 19, 2023/भाद्र 28, 1945

No. 3935]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 19, 2023/BHADRA 28, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2023

का.आ. 4100(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38ठ की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के निम्नलिखित सदस्यों को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ 1403 (अ) तारीख 4 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: —

उक्त अधिसूचना में, —

(i) विद्यमान क्रम सं. 6 से 13 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात्: —

"6	श्री एस.एस. श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त प्रमुख वन संरक्षक एवं प्रमुख वन बल, ओडिशा	सदस्य
7	श्री राहुल भटनागर, सेवानिवृत्त क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर व्याघ्र आरक्ष, उदयपुर, राजस्थान	सदस्य
8	श्री रवि सिंह, सेक्रेटरी जनरल, विश्व प्रकृति निधि - भारत, लोधी इस्टेट, नई दिल्ली	सदस्य
9	डॉ. रूप नारायण माण्डवे, एम.वी.वी.एस., डी.सी.पी., सलाहकार रोगविज्ञानी, जबलपुर, मध्य प्रदेश	सदस्य
10	डॉ. प्रदीप के. मलिक, सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रोफेसर - भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून	सदस्य

11	श्री डब्ल्यू. लोंगवाह, सेवानिवृत्त वन महानिरीक्षक, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहटी, बशिश्टा चैरीली, गुवाहटी, असम	सदस्य
12	डॉ. एच.एस. नेगी, सेवानिवृत्त, अतिरिक्त प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्य प्रदेश	सदस्य
13	डॉ. मधु वर्मा, सेवानिवृत्ति संकाय सदस्य, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल	सदस्य";

(ii) क्र सं. 22 से 27 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात्: —

"22	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान	सदस्य
23	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, ओडिशा	सदस्य
24	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, तमिल नाडु	सदस्य
25	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड	सदस्य
26	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, मिजोरम	सदस्य
27	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, छत्तीसगढ़	सदस्य"।

[फा. सं. 15-30/2011-रा.व्या.सं.प्रा.]

डॉ. एस.पी.यादव, अतिरिक्त वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना)

टिप्पण: राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण गठित करने वाली मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में क्रमांक का.आ. 1403 (अ), तारीख 4 सितम्बर, 2006 और अंतिम बार संशोधित, अधिसूचना संख्या का.सं. 5254 (अ), दिनांक 4 नवम्बर, 2022

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2023

S.O. 4100(E). —In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 38L of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby appoints the following members to the National Tiger Conservation Authority for a period of three years, from the date of publication of this notification in the Official Gazette and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest number S.O. 1403(E), dated the 4th September, 2006, namely: —

In the said notification, —

(i) for serial numbers 6 to 13 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely: —

"6.	Shri S.S. Srivastava, Former Principal Chief Conservator of Forests & Head of Forest Force, Odisha	- Member
7.	Shri Rahul Bhatnagar, Former Field Director Ranathambore Tiger reserve, Udaipur, Rajasthan	- Member
8.	Shri Ravi Singh, Secretary General, World Wide Fund for Nature - India , Lodhi Estate , New Delhi	- Member
9.	Dr. Roop Narayan Mandwe, M.B.B.S., D.C.P. Consultant Pathologist, Jabalpur, Madhya Pradesh	- Member
10.	Dr. Pradeep K. Malik, Former Senior Professor - Wildlife Institute of India, Dehradun, Uttarakhand	- Member
11.	Shri W. Longvah, Former Inspector General of Forests, National Tiger Conservation Authority, Regional Office, Guwahati, Bashishta Chariali, Guwahati, Assam	- Member
12.	Dr. H.S Negi, Former Additional Principal Chief Conservator of Forest (Wildlife), Madhya Pradesh	- Member
13.	Dr. Madhu Verma, Former Faculty Member, Indian Institute of Forest Management, Bhopal	- Member";

(ii) for serial numbers 22 to 27 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely: —

“22.	Chief Wildlife Warden, Rajasthan	- Member
23	Chief Wildlife Warden, Odisha	- Member
24	Chief Wildlife Warden, Tamil Nadu	- Member
25	Chief Wildlife Warden, Uttarakhand	- Member
26	Chief Wildlife Warden, Mizoram	- Member
27	Chief Wildlife Warden, Chhattisgarh	- Member”.

[F. No. 15-30/2011-NTCA]

Dr. S.P. YADAV, Addl. Director General of Forests (Project Tiger & Elephant)

Note : The principal notification constituting the National Tiger Conservation Authority was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1403 (E), dated the 4th September, 2006 and last amended, *vide* notification number 5254(E), dated the 4th November, 2022.

